डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, सोमवार , दिनांक 22 अप्रैल 2002—वैशाख, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-38/2002/वाक/पांच (50).—चूंकि राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है;

अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

उक्त कथित नियम में नियम 74-डी के बाद निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जायेगा :—

74-इ. धारा 45-सी सी की उपधारा (1) के अंतर्गत परिवहक द्वारा अपेक्षित ले जाये जा रहे दस्तावेज में दिया जाने वाला विवरण-मालों को सड़क द्वारा परिवहित करने वाला प्रत्येक परिवहक धारा 45-सी सी की उपधारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित ले जाये जा रहे दस्तावेज में नियम 74-डी के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण देगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-10-38/2002/वाक/पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-38/2002/वा. क./पांच (50), दिनांक 22-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd April 2002

NOTIFICATION

No. F-10-38/2002/CT/V (50).—Whereas, The State Government considers that the following amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995 should be made and brought in to force at once;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendment in the said rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules after rule 74-E following rule shall be inserted :—

74-E. Particulars to be given in the documents required to be carried by a transporter under Sub-section (1) of Section 45-CC,-Every transporter transporting by road any goods shall give, in the documents required to be carried by him under Sub-section (1) of Section 45-CC, the particulars specified in sub-rule (1) of rule 74-D.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.